"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2005—आषाढ़ 23, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 23, 1927)

क्रमांक-8674/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2005), जो दिनांक 14 जुलाई, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 11 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2005" है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 48 ख का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 48-ख की उपधारा (1), (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से छ: माह के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा.

(2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके प्रादेशिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारों के विकेन्द्रिकरण की दिशा में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 48-ख में स्थापित प्रावधान अनुसार मोहल्ला समितियों के गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए अध्यादेश क्रमांक 1/2005 जारी किया गया था. इस हेतु उक्त धारा की उपधारा (1) एवं (4) में कतिपय संशोधन लाना आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 7 जुलाई, 2005

अमर अग्रवाल
नगरीय प्रशासन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) का सुसंगत उद्धरण :-

* *

धारा-48-ख-मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना

उपधारा (1) प्रत्येक नगरपालिक क्षेत्र में, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा.

(2) मोहल्ला समितियों की संख्या और सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, आदेश द्वारा विहित करे.

(3) संबंधित वार्ड का निर्वाचित पार्षद किसी वार्ड के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर की समस्त मोहल्ला समितियों का सदस्य होगा.

(4) निगम, मोहल्ला समितियों का प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु किसी मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए क्षेत्र समीपस्थ होंगे.

(5) राज्य सरकार, मोहल्ला समितियों के कृत्य तथा शक्तियां और उनके कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया विहित करेगी.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.